मूल हिंदी में

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3

03.02.2025 को उत्तर के लिए

वाहन जीवन काल समाप्ति नियमावली, 2025 का अनुपालन

3. श्री अरुण गोविल :
श्री विजय बघेल :
सुश्री कंगना रनौत :
श्री नव चरण माझी :
श्री मनीष जायसवाल :
डॉ. भोला सिंह :
श्री महेश कश्यप :
श्री तेजस्वी सूर्या :
श्री तापिर गाव :
डॉ. राजेश मिश्रा :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वाहन जीवन काल समाप्ति (ईएलवी) के लिए अधिसूचित नियमों के उद्देश्य क्या हैं और इन वाहनों के निपटान से जुड़े अपशिष्ट और प्रदूषण को कम करने के लिए उक्त नियमों को किस प्रकार तैयार किया गया है;

(ख) देश में इस समय कितने प्राधिकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाएं प्रचालन में हैं और क्या उनमें पर्यावरणीय सुरक्षा मानकों का अनुपालन किया जा रहा है;

(ग) क्या सरकार का विचार वाहन मालिकों को पुराने वाहनों को जिम्मेदारी से स्क्रैप करने और पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु प्रोत्साहन प्रदान करने का है;

(घ) वाहन विनिर्माताओं, डीलरों और पुनचर्क्रण इकाइयों के बीच नए नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रवर्तन उपाय किए गए हैं; और

(ड.) क्या सिंगरौली जिले में प्रदूषण को रोकने के लिए प्राथमिकता के आधार पर कोई विशेष व्यवस्था की जा रही है क्योंकि यह एक औद्योगिक और अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्र है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) और (घ): पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एण्ड सीसी) ने प्रयोग अवधि समाप्त हो चुके वाहनों के पर्यावरण की दृष्टि से उचित प्रबंधन के लिए दिनांक 06 जनवरी, 2025 को का.आ. 98 (अ) द्वारा पर्यावरण संरक्षण (प्रयोग अवधि समाप्ति वाहन) नियम, 2025 को अधिसूचित किया। ये नियम विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) के सिद्धांत पर

आधारित हैं, जहाँ वाहनों के निर्माताओं को जीवन काल समाप्त हो चुके वाहनों को स्क्रैप करने के लिए अनिवार्य ईपीआर लक्ष्य दिए जाते हैं। इन नियमों में कृषि ट्रैक्टर, कृषि ट्रेलर, कंबाइन हार्वेस्टर और पावर टिलर को छोड़कर सभी प्रकार के परिवहन और गैर-परिवहन वाहनों को कवर किया गया है।

उक्त नियमों के तहत, निर्माताओं को उन वाहनों के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के दायित्व को पूरा करना अनिवार्य किया गया है जिन्हें निर्माता ने घरेलू बाजार में पेश किया है या पेश करता है, जिसमें निर्दिष्ट स्क्रैपिंग लक्ष्य सुनिश्चित करने के लिए स्व-उपयोग में लाए जाने वाले वाहन भी शामिल हैं। वर्ष 2025-26 से उत्पादकों को परिवहन वाहनों के मामले में 15 साल पहले और गैर-परिवहन वाहनों के मामले में 20 साल पहले बाजार में लाए गए वाहनों के लिए प्रयोग अवधि समाप्त हो चुके वाहनों को स्क्रैप करने के लिए वार्षिक लक्ष्य दिए गए हैं।

पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्रों (आरवीएसएफ) को स्क्रैपिंग के लिए अनुपयुक्त वाहनों या प्रयोग अवधि समाप्त हो चुके वाहनों को प्राप्त करने हेतु अधिदेशित किया गया है और उनके लिए प्रसंस्करण करने, प्रदूषण मुक्त बनाने, टुकड़ों में तोड़ने, अलग करने और स्क्रैपिंग कार्यकलापों को पूरा करना अनिवार्य है। उन्हें प्रयोग अवधि समाप्त हो चुके वाहनों से प्राप्त सभी सामग्री और पृथक सामग्रियों को पंजीकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं या नवीनीकरणकर्ताओं, सह-प्रसंस्करणकर्ताओं को पुर्जों या सामग्रियों के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग के लिए भेजना आवश्यक है, यदि आरवीएसएफ के पास पुनर्चक्रण या नवीनीकरण की सुविधा है। साथ ही, उन्हें सभी गैर-पुनर्चक्रणीय या गैर-नवीकरणीय सामग्रियों और उपयोग न किए जाने योग्य खतरनाक सामग्रियों को परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमा पार संचलन) नियम, 2016 के तहत प्राधिकृत साझा खतरनाक अपशिष्ट शोधन, भंडारण और निपटान केंद्र में भेजने की आवश्यकता है।

निर्माताओं द्वारा नामित संग्रहण केंद्रों के लिए प्रयोग अवधि समाप्त हो चुके वाहनों को पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित तरीके से संभालना तथा उन्हें पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा केंद्र में भेजना आवश्यक है।

वाहन के पंजीकृत स्वामी या थोक उपभोक्ता को, वाहन की प्रयोग अवधि समाप्त होने की तिथि से एक सौ अस्सी दिनों की अवधि के भीतर, उसे निर्माता के किसी भी निर्दिष्ट विक्रय केन्द्र या निर्दिष्ट संग्रहण केन्द्र या पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र में जमा करना आवश्यक है।

नियमों के तहत, निर्माता के मामले में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) तथा आरवीएसएफ और थोक उपभोक्ता के मामले में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) इन नियमों के किसी प्रावधान के उल्लंघन या गैर-अनुपालन के मामले में सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनका पंजीकरण निलंबित या रद्द कर सकता है।

नियमों के अंतर्गत प्रदत्त दायित्वों के संबंध में निर्माता, थोक उपभोक्ता और आरवीएसएफ द्वारा केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर रिटर्न दाखिल किया जाना आवश्यक है।

सीपीसीबी को निर्माता को समय-समय पर निरीक्षण और ऑडिट करने हेतु अधिदेशित किया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसा केंद्र इन नियमों के प्रावधानों के तहत अपेक्षाओं का अनुपालन कर रहा है। सीपीसीबी पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र का समय-समय पर निरीक्षण और ऑडिट कर सकता है या किसी अधिकृत एजेंसी से करवा सकता है। सीपीसीबी इन नियमों के तहत उल्लंघन करने या दायित्वों की पूर्ति न करने के लिए किसी निर्माता या पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र या किसी अन्य व्यक्ति के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई कर सकता है।

इसी तरह, एसपीसीबी को नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आरवीएसएफ का आवधिक निरीक्षण और ऑडिट करने या अधिकृत एजेंसी द्वारा निरीक्षण कराने हेतु अधिदेशित किया गया है। एसपीसीबी के लिए इन नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र का आवधिक निरीक्षण और ऑडिट करने या अधिकृत एजेंसी द्वारा निरीक्षण कराना अपेक्षित है और वह इन नियमों के तहत उल्लंघन करने या दायित्वों को पूरा नहीं करने के लिए पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र या थोक उपभोक्ता या किसी अन्य व्यक्ति के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई कर सकता है।

यदि निर्माता या पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र या थोक उपभोक्ता इन नियमों के तहत पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित तरीके से प्रयोग अवधि समाप्त हो चुके वाहनों के संचालन और स्क्रैपिंग से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें पर्यावरण या सार्वजनिक स्वास्थ्य को होने वाली क्षति, नुकसान या हानि के लिए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का भुगतान करना होगा।

(ख): सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) ने पुराने अनुपयुक्त और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र सृजित करने हेतु वाहन स्क्रैपिंग नीति तैयार की है। इस नीति का लक्ष्य अनुपयुक्त और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को उनकी उपयुक्तता के आधार पर पूरी तरह से स्क्रैप करना है। इस नीति के तहत, पूरे देश में पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्रों (आरवीएसएफ) का एक नेटवर्क तैयार करने की परिकल्पना की गई है। जनवरी 2025 तक, देश में 84 आरवीएसएफ संचालित हैं।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन (वाहन स्क्रैपिंग केंद्र का पंजीकरण और कार्य) नियम, 2021 को अधिसूचित किया है, जिसमें पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र (आरवीएसएफ) के पंजीकरण, वाहनों को स्क्रैप करने के मानदंड, स्क्रैपिंग प्रक्रिया, आरवीएसएफ के कार्य संचालन के लिए ऑडिट और प्रमाणन के प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा, आरवीएसएफ को सीपीसीबी द्वारा जारी किए गए 'प्रयोग अवधि समाप्त हो चुके वाहनों के पर्यावरण की दृष्टि से उचित प्रबंधन' दिशा-निर्देशों का पालन करना आवश्यक है।

(ग): सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) ने दिनांक 04.10.2021 के सा.का.नि. 714 (अ) के माध्यम से केंद्रीय मोटर वाहन (तेईसवां संशोधन) नियम, 2021 को अधिसूचित किया है, जिसमें प्रावधान है कि यदि किसी नए वाहन का खरीददार प्रयोग अवधि समाप्त हो चुके वाहन का 'जमा प्रमाणपत्र' प्रस्तुत करता है तो नए वाहन पर पंजीकरण शुल्क नहीं लगाया जाएगा।

इसके अलावा, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन (चौबीसवां संशोधन) नियम, 2021 के तहत सा.का.नि. 720 (अ) दिनांक 05.10.2021 द्वारा गैर-परिवहन वाहनों के मामले में मोटर वाहन कर में पच्चीस प्रतिशत और परिवहन वाहनों के मामले में पंद्रह प्रतिशत तक की छूट का प्रावधान किया है।

इसके अतिरिक्त, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने विद्युत वाहनों और पर्यावरण अनुकूल विकल्पों को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित अधिसूचनाएं या परामर्शिकाएं जारी की हैं:

क. दिनांक 18.10.2018 के का.आ. 5333 (अ) के तहत बैटरी चालित परिवहन वाहनों और इथेनॉल और मेथनॉल ईंधन पर चलने वाले परिवहन वाहनों को परमिट की आवश्यकताओं से छूट दी गई।

ख. सा.का.नि. 525 (अ) दिनांक 2.8.2021 के तहत बैटरी चालित वाहनों को पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने या नवीनीकरण करने तथा नया पंजीकरण चिह्न प्रदान करने के उद्देश्य से शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है।

ग. सा.का.नि. 302 (अ) दिनांक 18.4.2023 के तहत बिना किसी परमिट शुल्क के भुगतान के बैटरी चालित वाहनों के लिए अखिल भारतीय पर्यटक परमिट जारी किया गया है।

घ. सा.का.नि. 749 (अ) दिनांक 7.8.2018 के तहत परिवहन वाहनों के लिए बैटरी चालित वाहनों हेतु पंजीकरण चिह्न हरे रंग की पृष्ठभूमि पर पीले रंग में तथा अन्य सभी मामलों में हरे रंग की पृष्ठभूमि पर सफेद रंग में जारी किया जाना है।

इसके अलावा, भारी उद्योग मंत्रालय ने देश में विद्युत परिवहन को बढ़ावा देने के लिए दिनांक 29 सितंबर, 2024 को दो वर्ष की अवधि में 10,900 करोड़ रुपये के परिव्यय से 'पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) योजना' शुरू की। यह योजना ई-दोपहिया ई-तिपहिया, ई-एम्बुलेंस, ई-ट्रक और अन्य नए विद्युत वाहनों को 3,679 करोड़ रुपये की सब्सिडी या मांग प्रोत्साहन प्रदान करती है । यह 24.79 लाख ई-दोपहिया वाहनों, 3.16 लाख ई-तिपहिया वाहनों और 14,028 ई-बसों को सहायता प्रदान करेगी।

(ङ.): चूंकि सिंगरौली और सोनभद्र औद्योगिक गतिविधियों, जैसे ताप विद्युत संयंत्र, कोयला खदानें, स्टोन क्रशर, तथा राख और सामग्री परिवहन वाले अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों में आते हैं, इसलिए वहां अतिरिक्त सुरक्षा उपाय लागू किए गए हैं।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने सिंगरौली और सोनभद्र औद्योगिक क्षेत्रों में ताप विद्युत संयंत्र और अन्य उद्योगों के कारण प्रदूषण से संबंधित फ्लाई ऐश के प्रबंधन और निपटान के साथ-साथ अन्य संबंधित मुद्दों के समन्वय और निगरानी के लिए दिनांक 09 मार्च, 2022 को 'फ्लाई ऐश प्रबंधन और उपयोग मिशन' का गठन किया।

फ्लाई ऐश प्रबंधन और उपयोग मिशन ने दिनांक 23.12.2024 को आयोजित अपनी बैठक में सिंगरौली और सोनभद्र जिलों में ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा राख के उपयोग सहित ताप विद्युत संयंत्रों, खदानों, स्टोन क्रशरों, उद्योगों, रेलवे साइडिंग द्वारा उत्पन्न प्रदूषण को दूर करने के लिए

कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा की और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को इन कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करने के निदेश दिए।

संशोधित ईआईए अधिसूचना, 2006 के दायरे में आने वाली विभिन्न परियोजनाओं की पर्यावरणीय मंजूरी की विशिष्ट शर्तों में विशेष पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय भी शामिल किए गए हैं।

*****